विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

Inward No. 2169
Date 28/09/2020

D.O. No.F.1-7/2011(SCT)

14th September, 2020

Sub:- Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Education –reg.

Dear Madam/Sir,

As you are aware, the University Grants Commission is continuously monitoring the Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Educational Institutions. Further, the University Grants Commission has issued letters dated 19.07.2011, 02.07.2013, 07.03.2016, 05.9.2016, 15.5.2017, 4.06.2018 and 26.06.2019 requesting you to take the following action:

- The Officials/faculty members should desist from any act of discrimination against SC/ST students on grounds of their social origin.
- The University/Institute/College may develop a page on their website for lodging such complaints of caste discrimination by SC/ST students and also place a complaint register in the Registrar/Principal Office for the purpose. If any such incident comes to the notice of the authorities, action should be taken against the erring official/faculty members promptly.
- The university and colleges should ensure that no official/faculty members indulge in any kind of discrimination against any community or category of students.
- The University may constitute a committee to look into the discrimination complaints received from the SC/ST/OBC Students /Teachers and non-teaching staff.

You are also requested to advise the officials/ faculty members of your university/ Institute to be more sensitive while dealing with incidents of caste discrimination, and provide the information as per the prescribed format on the University Activity Monitoring Portal (UAMP) of UGC at link https://ugc.ac.in/uamp/) latest by **25.09.2020.**

The above instructions should also be circulated to all the constituent and affiliated colleges of your university for follow-up action please.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

Encl: As above.

The Vice-Chancellor of All Universities

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 6858
E-mail : secy.ugc@nic.in

अ०शा० पत्र संख्या एफ.1–7/2011 (एससीटी) 14 सितम्बर, 2020

विषयः उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का निराकरण

आदरणीय महोदया/महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की लगातार निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत कार्यवाही करने के उद्देश्य से दिनांक 19.07.2011, 02.07.2013, 07.03.2016, 05.09.2016, 15.05.2017, 04.06.2018 तथा 26.06.2019 के पत्र जारी किए हैः

- अधिकारी/संकाय सदस्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विरुद्ध उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधारपर किसी भेदभाव पूर्ण कृत्य से बचना चाहिए।
- विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पेज विकसित कर सकते है साथ ही वे कुल सचिव/प्राचार्य के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ एक शिकायत रजिस्टर भी रख सकते हैं। यदि ऐसी कोई घटना प्राधिकरणों के ध्यान में आती है तो चूककर्ता अधिकारी/संकाय सदस्य के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अधिकारी/संकाय सदस्य किसी भी समुदाय अथवा श्रेणी के छात्रों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करना चाहिए।
- विश्वविद्यालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों/शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदो से प्राप्त भेदभाव संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अधिकारी/संकाय सदस्य को जातिगत भेदभाव की घटनाओं के मामलों पर कार्यवाही करते हुए अधिक संवेदनशील रहने का परामर्श दें और यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (UAMP) के लिंक https://ugc.ac.in/uamp/ पर पर विहित प्रपत्र में 25.09.2020 तक सूचना प्रदान करें।

उपयुक्त अनुदेशों को आपके विश्वविद्यालय के सभी संघटक तथा संबद्ध महाविद्यालयों को भी अनुवर्ती कार्यवाही के लिए परिचालित किया जाए।

सादर

भवदीय,

(रजनीश जैन)

संलग्न: यथोपरि

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति